राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांकः–एफ8(20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/ जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2082 (वर्ष 2025–26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टरों द्वारा करवाई गई नियमित गिरदावरी की राज्य के जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित जिलों के आगे लिखेनुसार **2226 गांवों** में कृषकों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत व अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है, एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के जारी होने से **दिनांक 31 मार्च, 2026** तक लागू रहेंगे, तथा उक्त जिलों में 33 प्रतिशत व अधिक फसल खराबा वाले व्यक्तिगत कृषकों को भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान–अनुदान वितरण की अनुमति दी जाती हैः–

क्र.सं.	जिलो के नाम	तहसीलों के नाम	अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या
1	अजमेर	अजमेर, किशनगढ़, अराई, पीसांगन, नसीराबाद, केकडी, सरवाड़, टाटोटी, सावर, भिनाय एवं रूपनगढ।	719
2	अलवर	अलवर एवं कठूमर।	03
3	झुंझनूं	सुरजगढ।	77
4	कोटा	लाडपुरा, दीगोद, पीपलदा, सांगोद, कनवास, रामगंजमंडी एवं चेचट।	907
5	पाली	पाली, रोहट, बाली, देसूरी, सुमेरपुर, सोजत एवं मारवाड जंक्शन।	520
कुल योगः–			**2226**

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.:
18717632
eSign DSC